राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 73/2021
जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2021/98
दायर दिनांक— 05.08.2021
निर्णय दिनांक— 24.07.2024

उनवानी—

1. भंवरलाल पुत्र छीतर
2. घीसालाल पुत्र छीतर
3. किशनलाल पुत्र छीतर

सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम छोटा नरेना तह0 रूपनगढ़

......प्रार्थीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र स्व0 ऊंकार (Deleted)
2. श्रीमती निर्मला देवी पत्नि रामरतन
3. रामरतन पुत्र छीतर

   अप्रार्थी संख्या 1 से 3 नि0 ग्राम छोटा नरेना तह0 रूपनगढ़
4. श्रीमती घीसी देवी पुत्री छीतर पत्नि हनुमान नि0 हाल नुवां तह0 रूपनगढ़
5. श्रीमती धापू देवी पुत्री छीतर पत्नि लिखमाराम हाल नि0 रघुनाथपुरा तह0 रूपनगढ़
6. श्रीमती मोगा देवी पुत्री छीतर पत्नि स्व मोहन लाल नि0 हाल हरमाड़ा तह0 रूपनगढ़
7. श्रीमती कानी देवी पुत्री छीतर पत्नि इन्द्रनारायण हाल नि0 ग्राम साखून तह0 दूदू जिला जयपुर

   सर्वजाति जाट
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
9. उप पंजीयक रूपनगढ़

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—:

1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थीगण
2. श्री शांतिलाल ढ़ेल अधि0 अप्रार्थी सं. 1 से 7

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वाभाविक होने के कारण यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना—पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7, प्रतिवादी संख्या 1 की जायन्दा सन्तान पुत्र, पुत्री है एवं एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका पारिवारिक सजरा संलग्न है। प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक कृषि आराजी ग्राम नरेना पटवार हल्का जूणदा तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जो प्रार्थीगण की पैतृक कृषि आराजी होने के कारण वादग्रस्त आराजी में हित अधिकार ... अधिकारो के सृजन के

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 11:07:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। चूंकि प्रार्थीगण के दादा ऊंकार पुत्र गंगाराम की पैतृक कृषि आराजी है जिससे हिन्दू उत्ताराधिकारी अधिनियम के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थीगण प्रथम श्रेणी के वारिस होने से अधिकार अभिलेख में वर्णित आराजी में हित अधिकार स्वत्व अधिकार है। उक्त आराजी का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नरेना के खाता संख्या 61 के ख०न० 286, 287, 385, 386, 388 कुल खसरा 5 कुल रकबा 37 बीघा 15 बिस्वा है। उक्त वर्णित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा अधिकार अभिलेख में पैतृक विरासत में दर्ज होने से प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/36 हिस्सा अर्थात संयुक्त रूप से 3/36 निहित है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है एवं अपने हिस्से पर फसल बो रखी है। वाद वर्णित आराजी पैतृक कृषि आराजी होने से प्रार्थीगण अपना उक्त निहित हिस्सा प्राप्त करने के प्रथम श्रेणी के अधिकारी है। उक्त आराजी पैतृक व विरासत से प्राप्त सम्पत्ति होने से प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध खातेदारी उदघोषणा की डिकी प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा सदभाविक रूप से अलग से वाद पेश किया गया है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1(खातेदार)के जायन्दा पुत्रगण है एवं अप्रार्थी संख्या 3 से 7 भी अप्रार्थी संख्या 1 के जायन्दा सन्तान पुत्र व पुत्रियां है। अप्रार्थी संख्या 1 छीतर पुत्र ऊंकार अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 3 से मिलकर पैतृक विरासत से प्राप्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का निहित हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण आराजी का बैचान दिनांक 29.07.2021 को अप्रार्थी संख्या 3 की पत्नी अप्रार्थी संख्या 2 को करके दिखवटी विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया एवं विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया गया जो विक्रय पत्र प्रार्थीगण के हक हिस्से अधिकार तक बोगस, शून्य व अवैध है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का वाद वर्णित आरजी में केवल मात्र विधिक प्रावधानों के तहत 1/36 हिस्सा ही बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता ऊंकार से विरासत में प्राप्त हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण आराजी को किसी भी तरह से बैचान, अन्तरण, हस्तान्तरण करने का विधिक अधिकार नही हैं। प्रार्थीगण को अपनी पैतृक विरासत आराजी से महरूम करने की मंशा से यह अवैधानिक कृत्य अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा आपस में मिल कर किया गया है एवं बोगस, शून्य विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज करवाने पर आमादा हो रही है एवं नामान्तरकरण खुलवा कर बेचान, रहन, हस्तान्तरण करने पर उतारू है। इस कारण से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से तामूल वाद फैसला पावन्द किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में तैयार करवाये गये दस्तवेजो के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को किसी तरह का कोई हक, हिस्सा, अधिकार प्राप्त नही होता है। अप्रार्थी संख्या 1 यह जानता था कि वाद वर्णित आराजी उसके पिता से प्राप्त होकर पैतृक पुश्तैनी है एवं प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 के प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है तथा प्रार्थीगण का उक्त पुश्तैनी पैतृक भूमि में हक हिस्सा अधिकार प्राप्त होकर उक्त भूमि में संयुक्त रूप से 3/36 हिस्सा निहित है। उक्त के बावजूद भी फर्जी तरीके से अप्रार्थी संख्या 3 से मिलीभक्ति करके फर्जी दस्तावेज आपस में मिलकर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से तैयार करवाये गये हैं। फर्जी तरीके से तैयार करवाये गये ऐसे दस्तावेज प्रार्थीगण के हक हिस्से अधिकार तक प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध दस्तावेज है जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त भूमि में किसी तरह का हक हिस्सा अधिकार प्राप्त नही होता है। दिनांक 06.07.2021 को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 के बीच में सम्पत्ति के संबंध में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था जिसका मुकदमा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 ने एक दूसरे के विरूद्ध दर्ज करवा दिया गया था उसके बाद प्रार्थीगण के पास अप्रार्थी संख्या 1 निवास करता था जिसको अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने पास ले गया तथा उसके बाद अप्रार्थी सख्या 3 आये दिन प्रार्थीगण को शराब पीकर धमकी दी कि पिता जी मेरे पास है मै तुम्हारे को मेरे द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमे में पुलिस से मिलीभगत करके तुम्हारे को जेल भिजवा दूंगा तथा उसके बाद पिता के नाम की सम्पूर्ण जमीन को मेरे नाम या मेरे परिवारजन के नाम से करवा लुंगा तुम मेरा कुछ नहीं [illegible] के बाद प्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध दर्ज मुकदमा में प्रार्थी संख्या 1 व 2 को पुलिस [illegible] नगढ़ ने दिनांक 27.07.2021 को न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। प्रार्थी संख्या 1 व 2 को न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गयां।प्रार्थी संख्या 1 व 2 के [illegible] के पश्चात अप्रार्थी संख्या 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 11:07:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

ने अप्रार्थी संख्या 1 को बहला फुसला कर अपने साथ दिनांक 29.07.2021 को रूपनगढ़ तहसील कार्यालय में ले जाकर वाद वर्णित आरजी में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम विरासत से प्राप्त सम्पूर्ण हिस्सा की आराजी का अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी पत्नि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम बोगस विक्रय पत्र बिना प्रतिफल राशि दिये ही निष्पादित करवा कर उसका पंजीयन करवा दिया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को जमानत होने पर जेल से बाहर आने पर हुई है तब से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है क्योकि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पैतृक पुश्तैनी है जिसमें अपने निहित हिस्से पर काबिज काश्त है एवं अपने हिस्से में फसल बो रखी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 जबरन प्रार्थीगण को उनके पैतृक हक हिस्सा अधिकार की आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। इस कारण अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टंर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 की मत्यु हो जाने से वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सी0पी0सी0 पेश किया जिसको सुनकर प्रकरण से अप्रार्थी संख्या 1 का नाम हटाने (Delete) के आदेश प्रदान किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 से 7 ने अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब को (Adopt) स्वीकार किया।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते निवेदन किया कि प्रार्थीगण के दादा व पिता की पैतृक वादग्रस्त कृषि आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा अधिकार अभिलेख में पैतृक विरासत से दर्ज होने से प्रार्थीगण का 1/36 हिस्सा अर्थात संयुक्त रूप से 3/36 निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 विरासत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर सम्पूर्ण हिस्से को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया गया है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 3 वाद वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग में बाधाकारित नहीं करने, प्रार्थीगण को बेदखल नही करने एवं अप्रार्थी संख्या 2 के नाम बोगस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 8 दर्ज नहीं करे तथा वाद वर्णित आराजी को अप्रार्थी संख्या 2 किसी भी प्रकार से अन्तरण, बैचान, बख्शीश, वसीयत, दान आदि किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नही करे इस हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व उसके परिवारजन, नौकर–चाकर, एजेन्ट आदि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से तामूल वाद फैसला पाबंद फरमाया जावें। अप्रार्थी संख्या 8 को पाबन्द फरमाया जावे कि राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द फरमाये जावें एवं अप्रार्थी संख्या 9 के समक्ष प्रस्तुत करने पर उसका पंजीयन नही करे इस हेतु अप्रार्थी संख्या 8 व 9 को अस्थाई निषेधाज्ञा से तामूल वाद फैसला पाबन्द फरमाया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक नही है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 के विधिक वारिसान का 1/36 हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थीगण ने बिना किसी आधार के अप्रार्थी संख्या 1 विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी की वादग्रस्त भूमि में निहित 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.7.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 को हस्तान्तरित कर 1/4 हिस्सा भूमि का भौतिक आधिपत्य अप्रार्थी संख्या 2 को गवाहान की उपस्थिति में संभला दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 का निधन हो गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त भूमि का 1/4 हिस्सा क्रय किया है जिसमें हस्तक्षेप करने का प्रार्थीगण को अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.7.2021 [illegible] दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कथनो को अस्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र को भारी हर्जा खर्चा निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 11:07:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया व वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण ने जमाबंदी खाता संख्या 61 ग्राम नरेना संवत् 2071–2074 की प्रतिलिपि, नामान्तरकरण रजिस्टर नामान्तरकरण संख्या 3 दिनांक 29.09.2017 की प्रतिलिपि, भूमि एकीकरण जगाबंदी प्रतिलिपि संवत् 2020 संलग्न की है जिससे वादग्रस्त भूमि प्रथम दृष्ट्या पैतृक होना जाहिर होता है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट होते है। अतः उक्तानुसार प्रार्थीगण के हितो के संरक्षण हेतु वादग्रस्त भूमि के बैचान/अन्तरण होने से वाद बाहुल्यता की संभावना को देखते हुए अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट होता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.08.2021 को कन्फर्म किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को वादग्रस्त भूमि ग्राम नरेना के ख0न0 286, 287, 385, 386 व 388 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधाकारित नही करने हेतु व वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत् तावाद फैसला पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 8 व 9 को राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.08.16 11:07:28 IST
Reason: SelfAttested